पत्रांक– सं0को0–02–198/2021–502

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

प्रेषक

निदेशक (शैक्षणिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
अकादमिक भवन, बुद्ध मार्ग,
पटना– 800001

सेवा में

प्राचार्य/प्राचार्या,
एस0टी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
अहमद रजा नगर, कुरकुरी, फुलवारीशरीफ, पटना–801505
(ERCAPP201646155)
कोड:– 71846

पटना, दिनांक 04/08/2022

विषयः– डी0एल0एड0 कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर, उड़ीसा के पत्रांक ER-242.6.3/ID No.-10508/D.El.Ed. & B.Ed./2017/53936, दिनांक 29.07.2017 द्वारा 100 सीटों (02 यूनिट) के साथ सत्र 2018–19 से मान्यता प्रदान की गयी। इस मान्यता के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के तहत् संस्थान का स्थलीय निरीक्षण कराया गया। निरीक्षणोपरांत समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित सुझाव के आलोक में स्क्रीनिंग कमिटि द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। दिनांक 01.08.2022 के विषय सं0–49 के रूप में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आहूत बैठक में लिए गए निर्णयानुसार एस0टी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अहमद रजा नगर, कुरकुरी, फुलवारीशरीफ, पटना **को सत्र–2022–23 से 02 यूनिट (100) प्रशिक्षणार्थियों को दो वर्षीय डी0एल0एड0 कोर्स संचालन हेतु निम्नांकित शर्त्तों के साथ सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–**

शर्त्तें:–

1. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परीषद् द्वारा रेगुलेशन– 2014 तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 में निर्धारित मानकों, मानदण्डों एवं शर्त्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् रेगुलेशन– 2014 के परिशिष्ट–2 अनुच्छेद– 2.2 (ac) में निहित प्रावधानों; यथा प्रत्येक वर्ष में दो सौ दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य में व्यतीत की गयी अवधि के अतिरिक्त होगा।
3. महाविद्यालय को नामांकन एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा College of Professional Education एवं Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalay बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश जो क्रमशः (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 में प्रकाशित कंडिका 91.1, 91.2 के साथ कंडिका–2 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्धारित मापदण्डों को पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
4. यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारम्भ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा का उल्लंघन किया जाता है अथवा विनियमावली में निर्धारित वर्ग संचालन प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 200 दिनों का कार्य दिवस पूरी नहीं करती है, तो वैसी स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा से वंचित कर सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों का समय–समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेतु सक्षम होगी।
6. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय–व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. संस्था विधिवत् रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय/वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कटौती का विवरण संधारित करेगी।

8. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मियों के पद त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।

9. संस्थान के विरूद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरांत आरोप प्रमाणित होने पर सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी।

10. प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरांत संस्थान द्वारा एक प्रमाण–पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामाकित बच्चों का प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करने वाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है।

11. प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।

12. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी सम्बद्धन की शर्त्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।

14. संस्थान को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य है, रखने होंगे।

15. संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक बेवसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय–समय पर इसकी छानबीन की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जाना सम्बद्धन की शर्त्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

16. यदि किसी संस्थान को पूर्व/वर्तमान से संचालित बी0एड0 कोर्स की मान्यता सम्बद्धता समाप्त की जाती है, तो डी0एल0एड0 कोर्स की सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

17. संस्थान द्वारा नामांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाता को आधार नम्बर से सम्बद्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

9/8/22

(नीरज कमल)
निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।